

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित :: श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र० ।
प्रार्थी :: सर्वश्री रुप नारायण श्याम नारायण, 19/173ए पटकापुर, कानपुर ।
प्रार्थना पत्र सं० : : 393/08
प्रार्थी की ओर से :: श्री आर० के० त्रिवेदी, अधिवक्ता व श्री विनय नारायण, प्रतिनिधि

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

- 1- आवेदक वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी है जिसका टिन नं० 09937601157 है । आवेदक द्वारा उ०प्र० वैट अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत निम्न बिन्दु पर निर्णय देने की प्रार्थना की गई है :-
WHAT THE RATE OF TAX WILL BE ON THE RECEIPT OF SUPPLY OF ELECTRICITY THROUGH GENERATER
- 2- प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए व्यापारी की ओर से श्री आर० के० त्रिवेदी, अधिवक्ता व श्री विनय नारायण, प्रतिनिधि उपस्थित हुए जिनके द्वारा लिखित तर्क दाखिल किये गये एवं मामले से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर मौखिक तर्क भी प्रस्तुत किये गये।
- 3- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर से भी आख्या मांगी गई । उनके द्वारा अपने पत्रांक-3886 दिनांक 12-2-2009 से आख्या प्रेषित की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है । इस आख्या में कहा गया है कि "विद्युत ऊर्जा" उ०प्र० वैट अधिनियम की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-13 पर करमुक्त है । अतः जनरेटर से विद्युत का उत्पादन करके यदि विद्युत ऊर्जा की बिक्री की जाती है तो वह करमुक्त होगी । परन्तु यदि जनरेटर किराये पर दिया गया है तो यह उपयोग के अधिकार के अन्तरण की श्रेणी में आयेगा एवं ऐसी स्थिति में किराये के रूप में प्राप्त धनराशि पर व्यापारी की करदेयता होगी । इस प्रकार इस प्रश्न में अन्तर्निहित बिन्दु यह है कि प्रकरण विद्युत उत्पादन का है अथवा जनरेटर को किराये पर देने का है - यदि प्रकरण केवल विद्युत उत्पादन का है तो यह उपरोक्त आख्यानुसार करमुक्त की श्रेणी में आयेगा परन्तु यदि जनरेटर किराये पर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में किराये के रूप में प्राप्त धनराशि पर व्यापारी की करदेयता होगी ।
- 4- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया । जहां तक प्रार्थना पत्र में उल्लिखित सीमित प्रश्न का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में धारा-59 के अन्तर्गत पूर्व में ही निम्न निर्णय पारित किये जा चुके हैं जिनमें कहा गया है कि जनरेटर से उत्पादित विद्युत ऊर्जा की बिक्री करने पर व्यापारी पर कोई कर देय नहीं होगा क्योंकि विद्युत ऊर्जा उ०प्र० वैट अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त है :-
 - i- प्रार्थना पत्र संख्या-87/08-सर्वश्री मेरठ आटोमोबाइल्स एण्ड डीजल्स, 1-12 पल्लव पुरम्, फेस-1, मेरठ कैन्ट ।
 - ii- प्रार्थना पत्र संख्या-88/08-सर्वश्री नायर जनरेटर्स हायरिंग कम्पनी, 304 ब्रूके स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट ।
 - iii- प्रार्थना पत्र संख्या-89/08- सर्वश्री साई पावर्स 74, गोविन्द प्लाजा, बेकरी लाइन, लालकुआ, मेरठ कैन्ट ।
 - iv- प्रार्थना पत्र संख्या-90/08-सर्वश्री पावर इण्टर प्राइजेज, 119 करिअप्पा स्ट्रीट, मेरठ मैन्ट ।
- 5- विद्युत ऊर्जा पर करदेयता की पूर्व में प्रभावी उक्त स्थिति में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः प्रश्नगत बिन्दु पर दिये गये उक्त निर्णय आलोच्य मामले में भी प्रभावी है । तदनुसार, यदि



(2)

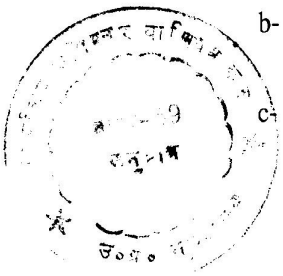
व्यापारी द्वारा जनरेटर से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करके इसकी बिक्री की जाती है तो इस बिक्री पर व्यापारी की कोई करदेयता नहीं होगी।

- 6- परन्तु व्यापारी द्वारा अपने इस विद्युत उत्पादन एवं बिक्री के कथित व्यापार के सम्बन्ध में विभिन्न पार्टियों से जो अनुबन्ध किये गये हैं, उनकी जांच करने पर पाया गया कि व्यापारी का वास्तविक व्यापार विद्युत ऊर्जा का उत्पादन व उसकी बिक्री न होकर जनरेटर किराये पर देने का है। व्यापारी द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से किये गये निम्न अनुबन्धों की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं :-

- i- सर्वश्री भारतीय जीवन बीमा निगम, जोनल कार्यालय, कानपुर; अनुबन्ध की तिथि- दिनांक 25-5-06
- ii- सर्वश्री भारतीय जीवन बीमा निगम, जोनल कार्यालय, कानपुर ; अनुबन्ध की तिथि- दिनांक 10-12-2007
- iii- सर्वश्री भारतीय जीवन बीमा निगम, शिवाय टावर दि माल, कानपुर; अनुबन्ध की तिथि - शून्य

इन सभी अनुबन्धों में जनरेटर के किराये की मासिक दरें निर्धारित की गई हैं यद्यपि माह में जनरेटर चलने के कुल समय के आधार पर मासिक किराये की दरों के अलग अलग स्लैब भी निर्धारित किये गये हैं। साथ ही कार्यालय अवधि के पश्चात जनरेटर चलने पर प्रति घण्टे की दर से भुगतान का भी प्राविधान रखा गया है परन्तु कुल मासिक किराया विद्युत की वास्तविक आपूर्ति पर आधारित न होकर एक मुश्त निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में क्रमांक (1) पर अंकित उपरोक्त अनुबन्ध में दी गयी भुगतान की निम्न व्यवस्था दृष्टव्य है :-

S.No.	Description	Unit	Rs.
(i)	a- For 180 KVA, a- If DG set is operated 0-30 hrs in a month.	Month	27848/-
	b- If DG set is operated more than 30 hrs. -60 hrs. of less in a month	Month	46414/-
	c- If DG set is operated more than 60 hrs. -80 hrs. of less in a month	Month	69621/-
	d- If DG set is operated more than 80 hrs. -100 hrs. of less in a month	Month	114034/-
	e- If DG set is operated more than 100 hrs. -120 hrs. of less in a month	Month	116034/-
	f- If DG set is operated more than 100 hrs. -120 hrs. or less	Month	116034/-
(ii)	Same as at sr.No.(i) but for one set of 82.5 KVA		
	a- If DG set is operated 0-30hrs. in a month	Month	7426/-
	b- If DG set is operated more than 30hrs.- 60hrs. or less in a month	Month	14852/-
	c- If DG set is operated more than 60hrs.- 80hrs. or less in a month	Month	25063/-



d-	If DG set is operated more than 100hrs.- 120hrs. or Month less in a month	32490/-
e-	If DG set is operated more than 100hrs.- 120hrs. or Month less in a month	37131/-
b-	If DG set is operated more than 120hrs. in a month Month	46414/-
(iii)	O.T. Operation of 250 Kva DG set as & when required Per Hrs.	371/-
(iv)	O.T. Operation of above 82.50 Kva DG as & when required Per Hrs.	186/-

In case of break down of DG set, deduction shall made based on OT rate for running of DG set beyond normal Hours & if the same is not restored within 24 hours, LICI will be free to hire another DG set from the market at the risk and cost or contractor limited to double the amount quoted by the contractor.

इस अनुबन्ध को सीधे-सीधे पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्युत उत्पादन हो अथवा नहीं, जनरेटर किराये पर लेने वाली पार्टी को 180 KVA के जनरेटर हेतु ₹0 27,848=00 तथा 82.5 KVA के जनरेटर हेतु ₹0 7,426=00 जनरेटर स्वामी को देने ही होंगे। अतः यह प्रकरण प्रथमदृष्टया ही विद्युत उत्पादन का न होकर जनरेटर एक वर्ष किराये पर देने का है जिसमें जनरेटर के उपयोग के अधिकार का अन्तरण होता है।

- 7- व्यापारी द्वारा अपने लिखित तर्कों में सर्वश्री गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम कमिश्नर व्यापार कर, 30 प्र0 के मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय (VSTI-2009 B-44) का हवाला देते हुए कहा गया है कि जनरेटर किराये पर दिये जाने के प्रश्नगत व्यापार में उनके द्वारा ही जनरेटर के रख रखाव का कार्य किया जाता है तथा जनरेटर चलाने के लिए डीजल एवं जनरेटर आपरेटर की व्यवस्था भी उन्हें ही करनी होती है। अतः यह मामला जनरेटर के उपयोग के अधिकार के अन्तरण का नहीं है। परन्तु व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तर्क सही नहीं है। व्यापारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के जिस निर्णय का हवाला दिया गया है उसके तथ्य आलोच्य मामले के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न हैं। सर्वश्री गिरीश चन्द्र गुप्ता के उक्त मामले में याचिका कर्ता द्वारा कार किराये पर दिये जाने का कार्य किया जाता था जिसके बदले में उन्हें भुगतान कार की चलित दूरी के आधार पर दिया जाता था। उक्त मामला इस प्रकार कार के उपयोग के अधिकार का अन्तरण का न होकर कार के माध्यम से परिवहन की सुविधा प्रदान करने का था। परन्तु आलोच्य मामले में जनरेटर के किराये पर देने का भुगतान उसके चलने के घण्टों पर आधारित न होकर एक मुश्त मासिक प्राप्त होता है। अतः मा0 उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय आलोच्य मामले में लागू नहीं होता है।

8-

तदनुसार व्यापारी द्वारा जनरेटर किराये पर देने का उक्त कार्य जनरेटर के उपयोग के अधिकार के अन्तरण की श्रेणी में आता है जिसके विरुद्ध प्राप्त भुगतान पर व्यापारी पर 4% की करदेयता होती है।

व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

9-

(4)

- 10- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये।

दिनांक :: 06 अप्रैल, 2009

हच 6-4-09

(अनिल संत)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



वै. क. गेड-1
प्रमाणित
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ